

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

शंभु शरण मा०प्र०से०,
सरकार के अपर सचिव ।

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार,
वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना ।

द्वारा:- आन्तरिक वित्तीय सलाहकार ।

पटना, दिनांक- 24/10/2026

विषय:- वित्तीय वर्ष 2025-26 में जननायक कर्पूरी ठाकुर चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, मधेपुरा में इन्टर्नशीप कर रहे छात्र/छात्राओं के छात्रवृत्ति/इन्टर्नशीप के भुगतान हेतु कुल रू० 11,00,000/- (रूपये ग्यारह लाख) मात्र के व्यय के निमित्त स्वीकृति ।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि विभागीय संकल्प संख्या-1017(1), दिनांक-28.08.2017 एवं संकल्प संख्या-877(1), दिनांक-27.09.2022 के आलोक में वित्तीय वर्ष 2025-26 में जननायक कर्पूरी ठाकुर चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, मधेपुरा में इन्टर्नशीप कर रहे छात्र/छात्राओं के छात्रवृत्ति/इन्टर्नशीप के भुगतान हेतु कुल रू० 11,00,000/- (रूपये ग्यारह लाख) मात्र के व्यय के निमित्त स्वीकृति प्रदान की जाती है ।

(2) इस पर होने वाले व्यय का वहन मांग सं०-20 के अंतर्गत स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय बजट मुख्य शीर्ष-2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, उप मुख्यशीर्ष-01-शहरी स्वास्थ्य सेवाएं-एलोपैथी, लघु शीर्ष-110-अस्पताल तथा औषधालय, उपशीर्ष-0026-जननायक कर्पूरी ठाकुर चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, मधेपुरा, विपत्र कोड-20-2210-01-110-0026 अंतर्गत छात्रवृत्ति/वजीफा (34-01) मद में बजट उपबध/पुनर्विनियोग से प्राप्त राशि से विकलनीय होगा ।

(3) इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, अधीक्षक, जननायक कर्पूरी ठाकुर चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, मधेपुरा हांग एव नियत्री पदाधिकारी, क्षेत्रीय अपर निदेशक, कोशी प्रमडल, सहरसा होंगे ।

(4) निकासी एव व्ययन पदाधिकारी वित्त विभाग एव स्वास्थ्य विभाग के अद्यतन परिपत्रों के आलोक में राशि की निकासी विहित प्रपत्र के माध्यम से करते हुए संबंधित छात्रों को उपलब्ध करायेगे ।

(5) राशि की निकासी जिला कोषागार, मधेपुरा से की जायेगी ।

(6) यह स्वीकृत्यादेश वित्त विभाग के परिपत्र संख्या-2561/वि(2), दिनांक-17.04.1998 के प्रावधानों के अधीन निर्गत किया जा रहा है ।

(7) वित्त विभाग द्वारा दिये गये निदेश के आलोक में व्यय की गयी राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र नियमानुसार BTC Form-42A पर तैयार करते हुए महालेखाकार, कार्यालय, बिहार, पटना को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे ।

(8) प्रारूप में आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका सं०-7/MCH-35-12/2025 के पृष्ठ-13/टि० पर प्राप्त है ।

(9) इसमें सचिव, स्वास्थ्य विभाग का अनुमोदन प्राप्त है ।

(10) यह मात्र स्वीकृत्यादेश है, आवंटित राशि CFMS के माध्यम से उपलब्ध कराया जायेगा ।

(11) संबंधित प्रस्ताव में महालेखाकार से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है ।

विश्वासभाजन,

(शंभु शरण)


सरकार के अपर सचिव,
रबी

ज्ञापानंक:- 7/MCH-35-12/2025-.....105(78) /स्वा0, पटना, दिनांक:- 24/02/2026

प्रतिलिपि-वित्त विभाग (बजट शाखा) बिहार, पटना/प्रमंडलीय आयुक्त, कोशी प्रमंडल, सहरसा/जिला पदाधिकारी, मधेपुरा/क्षेत्रीय अपर निदेशक, कोशी प्रमंडल, सहरसा/कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:-अधीक्षक, जननायक कर्पूरी ठाकुर चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि-माननीय मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/सचिव, स्वास्थ्य के प्रधान आप्त सचिव/निदेशक प्रमुख (प्रशासन), स्वास्थ्य सेवाएँ/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-07बी एवं संबंधित सहायक प्रशाखा पदाधिकारी/आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


सरकार के अपर सचिव